उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक २१.३.२००३ को सम्पन्न हुई १८६ वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक २१ मार्च, २००३ को बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :--

१–	श्री अतुल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, नगर विकास उ० प्र० शासन ।	अध्यक्ष
२–	श्री वी० एन० गर्ग आवास आयुक्त	सदस्य
३–	श्री जय शंकर मिश्र सचिव, आवास उ० प्र० शासन ।	सदस्य
४–	सुश्री स्मिता चौधरी विशेष सचिव, वित्त, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
५–	श्री महेश कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
६–	श्री अरविन्द नाथ प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० जल निगम ।	सदस्य
७–	श्री वी०के०गुप्ता मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश	सदस्य
८–	श्री एस०एम०ए०बुखारी मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
९–	श्री देवेन्द्र दुबे अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

विशेष आमंत्री

१–	श्री कामरान रिजवी	अपर आवास आयुक्त उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
२–	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी	वित्त नियंत्रक उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
३–	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद नियोजक उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 186वीं बैठक दिनांक 21.03.2003 की विषय सूची

मद संख्या		विषय
186/1–1	परिषद की 185वीं बैठक दिनांक 27.11.2002 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गई ।
186/1–2	परिषद की 185वीं बैठक दिनांक 27.11.2002 की अनुपालन आख्या।	अनुमोदित ।

भाग–2 परिषद की 185वीं बैठक के स्थगित मद

अभियन्त्रण अनुभाग

186/2–3	महोली यो0सं0–1 व 2 (राधिका विहार एवं कृष्ण विहार) में 33/11 के0वी0 विद्युत सब. स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निःशुल्क भूमि एवं निर्माण लागत के विरूद्व आंशिक धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

186/2–4	राजाजीपुरम योजना,लखनऊ में दुकान सं0–एस0–241 के विरूद्व दण्ड ब्याज माफ किए जाने के सम्बन्ध में।	दण्ड ब्याज माफ करने तथा जमा धनराशि को किश्तों के विरुद्ध समायोजित करने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि श्रीमती सिंह आदेश प्राप्त के छः सप्ताह के अन्दर परिषद को देय समस्त धनराशि जमा कर रजिस्ट्री करा लेंगी और इस सम्बन्ध में अन्य कोई मॉग नही करेंगी ।

186/2–5	परिषद की पंचवटी योजना सीतापुर में सरस्वती शिशु मन्दिर, विवेकानन्दपुरी, सीतापुर को स्कूल भूखण्ड 4496.19 वर्गमीटर आबंटित किए जाने के संबंध में।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि क्योंकि योजना का सीवर का पानी इसी भूखण्ड पर आता है और क्योंकि उसमें तालाब है इस कारण तालाब बनाए रखने के सम्बन्धित शासनादेश तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करवा लिया जाए तथा अधीक्षण अभियंता एवं वास्तुविद नियोजक द्वारा मौके पर योजना स्थल निरीक्षण की आख्या के साथ परिषद की आगामी बैठक में रखा जाए।
186/2–6	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में श्री नवीन सचदेवा को प्रदिष्ट व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–7/102 के पुनर्जीवन के संबंध में।	अनुमोदित ।
186/2–7	परिषद की सिकन्दरा योजना,आगरा स्थित जी0एच0 भूखण्ड सं0–जी0एच0–16/1 का आवंटन नील कमल सहकारी आवास समिति के पक्ष में किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के पश्चात पाया गया कि किया गया अनुरोध सम्पत्ति निस्तारण की सामान्य नीतियों के विरूद्व होने के कारण स्वीकार करने योग्य नही है । अस्वीकृत ।

भूमि अर्जन अनुभाग

186/2–8	परिषद की योजना सं0–1,बुलन्दशहर में समाविष्ट भूमि खसरा सं0–37 ग्राम–भूड़ को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में श्री नानक चन्द आदि के प्रत्यावेदन पर विचार।	अनुमोदित ।
186/2–9	दिल्ली,सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान	अनुमोदित । यह भी अपेक्षा की गई कि योजना के सम्बन्ध में ~~पूर्ण विवरण पृथक से प्रस्तुत किया जाय~~

	योजना,गाजियाबाद के सम्बन्ध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर विचार।	[illegible]
186/2—10	पाण्डेपुर योजना,वाराणसी के पूर्व कास्तकारों की अर्जित की गयी भूमि का 15 प्रतिशत व 15 प्रतिशत का 55 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत भूमि भूखण्ड के रूप में दिये जाने के सम्बन्ध में।	इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि अल्प आय वर्ग के सम्बन्ध में जो नार्म्स लागू होते हैं, उनको लागू करते हुए लेआउट का संशोधन कर लिया जाय परन्तु पार्क/खुले स्थान के क्षेत्रफल में हुई कमी योजना में अन्य स्थान पर पूरी कर दी जाए।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

186/2—11	यो0सं0—2,रामपुर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।	इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि केन्द्र के आसपास की सड़कों में से कम से कम एक सड़क 12 मी0 की रखी जाय और एक 9 मी0 की चाहे इसके लिए केन्द्र का क्षेत्रफल थोड़ा कम करना पड़े ।
186/2—12	सेक्टर—11 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पुरम(सिकन्दरा योजना),आगरा में व्यवसायिक तथा आवासीय क्षेत्र का पारस्परिक परिवर्तन।	अनुमोदित ।
186/2—13	विकास नगर योजना,लखनऊ में आवासीय भूखण्ड सं0—1/134 का भू—उपयोग आवासीय से मिश्रित भू—उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि प्रक्रियानुसार आपत्तियाँ प्राप्त कर पुनः परिषद के सम्मुख रखा जाय ।

186/2–14	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड सं0–9/1065/1 का भू–प्रयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	केवल 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे के क्षेत्र के लिए इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रकिया अनुसार आपत्तियॉ प्राप्त कर पुनः परिषद के सम्मुख रखा जाय ।

ग्लोबल एण्ड कन्सलटेन्सी सेल

186/2–15	फिक्स्ड एवं फ्लेक्सेबिल सेण्टेज पर डिपाजिट कार्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	स्थगित ।

भाग–3 प्रथम बार प्रस्तुत मद

अभियन्त्रण अनुभाग

186/3–16	अवलोकनार्थ टिप्पड़ियों की सूची 1,2 व 3	अवलोकित ।
186/3–17	परिषद की बहादराबाद योजना संख्या–1,रानीपुर हरिद्वार के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विकास कार्यो में जलापूर्ति हेतु लगभग 8–10 वर्ष पूर्व बिछायी गयी छतिग्रस्त लाईनों को बदलने की अनुमति के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–18	परिषद योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले गॉवो में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा किये जाने	अनुमोदित ।

	अतिरिक्त ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।(सम्पत्ति मुख्यालय)	

प्रशासन अनुभाग

186/3–25	परिषद के समस्त मस्टररोल श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान एक समान दर से करने के सम्बन्ध में।	5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष के पश्चात ~~अकुशल~~, तथा अर्धकुशल को 10 वर्ष के पश्चात कुशल मानने का निर्णय लिया गया। ~~यह निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया~~ कि मस्टररोल श्रमिकों को सभी सौपे गये कार्य करने होगें और ~~उसमें~~ कुशल/अकुशल के आधार पर श्रमिक सौपे गये कार्य को मना नही कर पायेगें।
186/3–26	अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–27	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–28	परिषद के अवलोकनार्थ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन को संदर्भित किये गये प्रकरणों की सूची। (स0को0)	अनुमोदित।
186/3–29	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।(स0को0)	अनुमोदित।
186/3–30	04 नग निष्प्रयोज्य वाहनों के विरूद्व नये वाहन क्रय	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि नये वाहन तभी क्रय किये जायेगें जब पुराने वाहनों की नीलामी

	करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी। (स0को0)	सम्पन्न हो जायेगी ।

<u>भूमि अर्जन अनुभाग</u>

186/3–31	नयी जुगौली रेलवे क्रासिंग अप्रोच रोड योजना, लखनऊ।	स्थगित ।
186/3–32	परिषद की सिकन्दरा गृह स्थान योजना,आगरा के अन्तर्गत खसरा सं0–110, 112,113 एवं 114 मौजा बोदला तहसील व जिला आगरा की भूमि को विकास व्यय लेते हुए परिषद की योजना के ले–आउट में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–33	परिषद की वृन्दावन योजना सं0–3,लखनऊ में समाविष्ट खसरा सं0–2418 रकबा 2–2–17–0 बीघा स्थित ग्राम ईश्वरी खेड़ा हैवतमऊ मवैया की भूमि पर श्रीमती संगीता रावत,प्रबन्धक,गॉधी विद्यालय को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–34	परिषद की सिकन्दरा गृह स्थान योजना,आगरा के अन्तर्गत खसरा सं0–1116 से 1123 व 1127/2 रकबा 12–12–0 बीघा भूमि को विकास व्यय लेते हुए परिषद की योजना के	स्थगित ।

	ले–आउट में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	
186/3–35	भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना कर्वी चित्रकूटधाम की धारा–28 के प्रस्ताव का प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
186/3–36	भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं0–4,हरदोई रोड,शाहजहॉपुर की धारा–31(1) के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

वित्त लेखानुभाग

186/3–37	इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने हेतु वित्त वर्ष 2002–2003 में रू0 8.00 करोड़ की धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड हेतु आरक्षित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
186/3–38	परिषद के सेवकों को भवन,भूखण्ड के कय/निर्माण एवं विस्तार/मरम्मत हेतु परिषद द्वारा भवन अग्रिम ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।

186/3–39	शासकीय, अर्द्धशासकीय सहकारी आवास समितियॉ/ सोसाइटीज ऐक्ट में पंजीकृत समितियॉ, लिमिटेड कम्पनीज एवं निजी निर्माताओं/ निजी संस्थाओं इत्यादि को बल्क सेल में विक्रय की जाने वाली भूमि दरों का निर्धारण।	स्थगित ।
186/3–40	वित्त वर्ष 2002–2003 से (कर निर्धारण वर्ष 2003–2004) आयकर अधिनियम की परिधि में आने के कारण देय अग्रिम आयकर के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त पुनः किसी विशेषज्ञ से अभिमत प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करें ।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

186/3–41	सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न युद्धों के शहीदों के आश्रितों को परिषद की समस्त योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में।(सं0प्र0मु0)	स्थगित ।
186/3–42	मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग,नई दिल्ली द्वारा की गयी अपेक्षा क्रम में परिषद की सिकन्दरा	अनुमोदित ।

	योजना,आगरा के सेक्टर–4,आर0 स्थित मध्यम आय वर्ग भवन सं0–1044, 1083, 1092 व 1054 के विरूद्व आरोपित दण्ड ब्याज पर विचार करने हेतु।	
186/3–43	श्रीमती साधना जगदीश के पक्ष में विकास नगर योजना,लखनऊ में स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदिष्ट भवन संख्या–11/324 के विरूद्व देय धनराशि में से ब्याज दण्ड ब्याज माफ करने एवं मूलधन को बिना ब्याज के किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में।(ल0जो0)	स्थगित ।
186/3–44	विकास नगर योजना लखनऊ में श्रीमती विद्या गुप्ता को आवंटित उच्च आय वर्ग भवन संख्या–1/11 के सम्बन्ध में(ल0जो0)।	जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 1.4.99 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किरायेदारी समाप्त होने पर परिषद द्वारा आवंटी को कब्जा वापस हस्तगत नही कराया गया तथा सुश्री शबाना रिजवी अवैध रूप से काबिज रही । क्योंकि भवन संख्या 1/11 आवंटी के कब्जे में नही रहा जिसमें आवंटी का दोष नही था अतः प्रार्थिनी के अनुरोध को स्वीकार करने का प्रस्ताव अनुमोदित ।
186/3–45	शेखूपुरा योजना लखनऊ में सड़क की पटरी पर अनाधिकृत रूप से अध्यासित दुकानदारों के समायोजन के सम्बन्ध में(ल0जो0)।	स्थगित ।
186/3–46	मैनपुरी योजना अन्तर्गत व्यवसायिक भू–खण्ड संख्या 1/2 के विरद्ध आरोपित अनिर्माण शुल्क माफ करने	स्थगित ।

	के सम्बन्ध में परिषद हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी। (का0जो0) ।	
186/3–47	मुन्सिफ रोड योजना,चन्दौसी के अन्तर्गत नव सजित भूखण्ड संख्या 260/100 पर निर्मित शेड एवं बाउण्डी वाल का मूल्य न लिए जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि मूल value के स्थान पर depreciated value लगाई जाए।

प्रशासन अनुभाग

186/3–48	परिषद कार्मिकों को 1 जनवरी,2002 से शासकीय कर्मियों की भॉति मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
186/3–49	वास्तुविद सहायक ग्रेड–2 को वास्तुविद सहायक ग्रेड–1 में संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

भूमि अर्जन अनुभाग

186/3–50	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–10(ग्राम चुनहेटी गाडा सईदपुर व मवी खुर्द) सहारनपुर की धारा–28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	स्थगित ।
186/3–51	सिकन्दरा योजना,आगरा में	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि ~~विकास शुल्क~~

	सिवेरा सहकारी आवास समिति की भूमि के सम्बन्ध में।	तथा आवंटन की शर्तों के संबंध में शासन को संदर्भित किया जाय।
186/3–52	वृन्दावन योजना संख्या–2,भाग–2 पूरक योजना लखनऊ की नियोजन समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
186/3–53	परिषद की माधवपुरम योजना संख्या–10,मेरठ में स्थित खसरा संख्या–2281 के भूखण्ड संख्या–सी0पी0–9/1,9/2 एवं 9/3 का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	स्थगित ।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

186/3–54	"बुद्धि विहार" योजना मुरादाबाद का पुनः नामकरण।	अनुमोदित।

अभियन्त्रण अनुभाग

186/3–55	परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु टिप्पणियों की सूची नम्बर 4,5 व 6 ।	अवलोकित।
186/3–56	परिषद योजनाओं में एकीकृत	स्थगित ।

	निविदा आमन्त्रित करने पर उचित निविदा प्राप्त न होने की दशा में निर्माण एवं विकास कार्यों को विभागीय पद्धति से कराए जाने के सम्बन्ध में ।	
186/3–57	लखनऊ नगर में गोमती नदी के 12 की0मी0 रीच में ड्रेजिंग एवं डिसिल्टिंग कार्यों हेतु रू0 80 लाख की धनराशि निदेशक,सी एण्ड डी0एस0, जल निगम को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि जल निगम से प्रोजेक्ट/रिपोर्ट प्राप्त कर के ही धनराशि अवमुक्त की जाए।
186/3–58	परिषद की राजाजीपुरम योजना,लखनऊ में मिनी इनडोर स्टेडियम का माननीय क्षत्रपति शिवाजी की स्मृति में नामकरण एवं प्रतिमा स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।	इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि नाम छोटा करके "छत्रपति शिवाजी स्टेडियम" रखा जाय ।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

186/3–59	एक नगर में दो भवन / भू–खण्ड कय किए जाने की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में । (सं0प्र0–मु0)	स्थगित ।
186/3–60	परिषद योजनाओं में आबन्टित सम्पत्तियों के पंजीयन पर देय स्टैम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में । (सं0प्र0–मु0)	अवगत हुए ।
186/3–61	श्री नरेन्द्र सिंह राणा को शेखूपुरा योजना में व्यवसायिक भूमि	विचारोपरान्त निर्णय लिया गयाः– 1– प्रार्थी से सम्पूर्ण विवरण के साथ विस्तृत

आबन्टन ।(ल0जो0)	प्रोजेक्ट रिपोर्ट मॉगी जाय और उनकी न्यूनतम आवश्यकता ज्ञात की जाय । 2– भूखण्ड के कुछ प्लाट्स को नीलामी करके इस स्थान की व्यवसायिक कीमत ऑकी जाय ताकि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के वित्तीय उपाशयों का ऑकलन किया जा सके ।
186/3–62 परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भू–खण्ड संख्या 2 सी0पी0–215 तथा 2सी0पी0–216 के विरूद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ किए जाने के सम्बन्ध में ।(ल0जो0)	स्थगित ।
186/3–63 इन्दिरा नगर,लखनऊ में अवस्थित व्यवसायिक भू–खण्ड संख्या 24/सी0पी0–101 एवं ग्रुप हाउसिंग भू–खण्ड संख्या 24/जी0एच0 –102 के सम्बन्ध में ।(ल0जो0)	विचारोपरान्त सर्व श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव, कामरान रिजवी, अपर आवास आयुक्त, कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक की समिति गठित करते हुए निर्णय लिया गया कि यह समिति प्रार्थी से निगोशिएट करेगी। तथा अपनी आख्या परिषद की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करेगी।
186/3–64 परिषद की भागीरथी योजना ,रावली रोड,बिजनौर स्थित आवासीय भू–खण्ड संख्या 56 पर आरोपित अनिर्माण शुल्क माफी विषयक।(ब0जो0)	अनुमोदित ।
186/3–65 आबन्टन पुनर्जीवन के सम्बन्ध में इन्दिरा नगर योजना,लखनऊ में अवस्थित व्यावसायिक भू–खण्ड संख्या 2/5 एवं 2/6 ।	निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माण के शमन तथा/ अथवा ध्वस्तीकरण के पश्चात ही व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 2/5 व 2/6 के पुर्नजीवन का निर्णय लिया जाय ।
186/3–66 परिषद योजनाओं में सम्पत्ति के आबन्टन के उपरान्त सम्पत्तियों के परिवर्तन के	सामान्यतः सेक्टर से सेक्टर में परिवर्तन न किया जाय पर विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें ।

सम्बन्ध में।(स0प0—मु0)	
186/3—67 परिषद योजनाओं में दुग्ध उत्पादों के बूथ की स्थापना के सम्बन्ध में। (स0प्र0—मु0)	अनुमोदित ।
186/3—68 इन्दिरा नगर योजना,लखनऊ के अन्तर्गत नीलगिरि काम्प्लेक्स में अवस्थित दुकान संख्या एस—107 के सम्बन्ध में	स्थगित ।

भूमि अर्जन अनुभाग

186/3—69	कबीर नगर योजना वाराणसी में स्थित गाटा संख्या 776/4 में 7249 व0फु0 भूमि को अर्जन मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।	जिन कब्जेदारों ने प्रतिकर नहीं उठाया है उनसे विकास शुल्क लेकर तथा अनधिकृत कब्जेदारों से वर्तमान आवासीय दर लेकर समायोजन कर लिया जाए।
186/3—70	वृन्दावन योजना संख्या—2, लखनऊ के ग्राम हैवतमऊ मवैया में समाविष्ट खसरा संख्या 2363 की भूमि के सम्बन्ध में ।	शासन को संदर्भित किया जाय ।
186/3—71	बरेली मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या—3 शाहजहाँपुर की भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

लेखा अनुभाग

186/3—72	वित्तीय वर्ष 95—96 की बैलेन्सशीट एवं वार्षिक लेखों पर महालेखाकार(लेखा परीक्षा)—द्वितीय,उ0प्र0,द्वारा निर्गत	अवलोकित ।

	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में ।	
186/3–73	वित्त वर्ष 2002–2003 के पुनरीक्षित एवं वित्त वर्ष 2003–2004 हेतु प्रस्तावित आय व्ययक।	अनुमोदित ।
86/3–74	श्री शिव कुमार गुप्ता (श्री कुबेर जी मार्केटिंग कम्पनी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड) को इन्दिरा नगर योजना,लखनऊ में व्यावसायिक भू–खण्ड संख्या 8सी0पी–103 के आबन्टन के सम्बन्ध में।	इस प्रतिबन्ध के साथ कब्जा दिया जा सकता है कि मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की तिथि दिनांक 13.7.2000 तक का ब्याज लगाते हुए देय धनराशि का 15 प्रतिशत प्रार्थी अविलम्ब जमा करे तथा शेष धनराशि की नियमानुसार किश्ते कर दी जायें।
186/3–75	तुलसी पुर योजना वाराणसी की भूमि परित्याग करने के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–76	जागृति विहार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 11 मेरठ की नियोजन समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–77	वृन्दावन योजना संख्या –2, लखनऊ के ग्राम उतरेटिया में समाविष्ट खसरा संख्या 633 की भूमि के सम्बन्ध में।	स्थगित ।
186/3–78	परिषद की मझोला भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या 4 (भाग–1) मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या 399, 400 व 411 की भूमि,अर्जन मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित कार्यवाही सामान्य नीति के अन्तर्गत विकास शुल्क लेकर की जाय ।
186/3–79	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

पुष्टि की गई